

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10931/17फ/नि०नि०अ०/2016-17, दिनांक 30-11-2016 तथा शासनादेश संख्या-2617/पांच-6-16-10(बजट)/14, दिनांक 25.10.2016 व शासनादेश संख्या-353/2016/2667/पांच-6-16-10(बजट)/14, दिनांक 20.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु रू०-184.06 लाख (रूपया एक करोड़ चौरासी लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति व रू०-92.03 लाख (रूपया बानबे लाख तीन हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2617/पांच-6-16-10(बजट)/14, दिनांक 25.10.2016 व शासनादेश संख्या-353/2016/2667/पांच-6-16-10(बजट)/14, दिनांक 20.11.2016 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम०ओ०यू० निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम०ओ०यू० निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (4) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- (7) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।
- (8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये एल०सी०एल०पी० तथा टी०एस०पी० अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

- (9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- (10) प्रस्तावित कार्यों का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।
- (11) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।
- (12) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (15) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-09 ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मॉस कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या- 355 /2016/2907 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
- (4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (6) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
- (7) मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ ।
- (8) निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), लखनऊ ।
- (9) परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), प्रतापगढ़ ।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
- (11) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
- (12) गार्ड फाइल।
- (13) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सैंगर)

उप सचिव

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद मऊ, कानपुर देहात व कौशाम्बी में 03 सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10943/17फ/नि०नि०अ०/2016-17, दिनांक 01-12-2016 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पांच-6-16-127(नि०)/12, दिनांक 27.01.2016 व शासनादेश संख्या-2526/पांच-6-16-46(नि०)/16, दिनांक 23.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.16 द्वारा प्राथ०/सामु०स्वा०केन्द्रों के भवन निर्माण की निर्धारित मानीकृत लागत के आधार पर जनपद मऊ में सामु०स्वा०केन्द्र नेमडाड़, जनपद कानपुर देहात में सामु०स्वा०केन्द्र, मैथा व जनपद कौशाम्बी में सामु०स्वा०केन्द्र करारी कुल 03 सामु०स्वा०केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रति सामु०स्वा०केन्द्र रू०-494.56 लाख की दर से कुल रू०-1483.68 लाख (रूपया चौदह करोड़ तिरासी लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति व प्रति सामु०स्वा०केन्द्र रू०-246.16 लाख की दर से कुल रू०-738.48 लाख (रूपया सात करोड़ अड़तीस लाख अड़तालिस हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पांच-6-16-127(नि०)/12, दिनांक 27.01.2016 व शासनादेश संख्या-2526/पांच-6-16-46(नि०)/16, दिनांक 23.11.2016 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम०ओ०यू० निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम०ओ०यू० निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (4) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- (7) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त सी०एच०सी० सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये एम०ओ०यू० निष्पादित रूप से, पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते में धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त शासनादेश वित्तीय स्वीकृति के प्रदान/निष्पादित/प्रतिबन्धित न हो।

- (10) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।
- (11) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।
- (12) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (15) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्ये-104 सामु0स्वा0केन्द्र-05 नये सामु0स्वा0केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 351 /2016/ 3003 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मऊ, कानपुर देहात व कौशाम्बी ।
- (4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 30प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, 30प्र0, लखनऊ ।
- (6) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, 30प्र0 लखनऊ ।
- (7) मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ, कानपुर देहात व कौशाम्बी ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, 30प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
- (9) संबंधित परियोजना/क्षेत्रीय प्रबन्धक, 30प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मऊ, कानपुर देहात व कौशाम्बी ।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (11) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
- (12) गार्ड फाइल।
- (13) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेगर)

उप सचिव।

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक २१ दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद उन्नाव, हरदोई व प्रतापगढ़ में 03 सामु०स्वा०केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10943/17फ/नि०नि०अ०/2016-17, दिनांक 01-12-2016 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पांच-6-16-127(नि०)/12, दिनांक 27.01.2016 व शासनादेश संख्या-2731/पांच-6-16-46(नि०)/16, दिनांक 23.11.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.16 द्वारा प्राथ०/सामु०स्वा०केन्द्रों के भवन निर्माण की निर्धारित मानीकृत लागत के आधार पर जनपद उन्नाव में सामु०स्वा०केन्द्र, ऊँचगाँव, जनपद हरदोई में सामु०स्वा०केन्द्र, गोपामऊ व जनपद प्रतापगढ़ में सामु०स्वा०केन्द्र पृथ्वीगंज एट औव्वार कुल 03 सामु०स्वा०केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रति सामु०स्वा०केन्द्र रु०-494.56 लाख की दर से कुल रु०-1483.68 लाख (रूपया चौदह करोड तिरासी लाख अइसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति व प्रति सामु०स्वा०केन्द्र रु०-246.16 लाख की दर से कुल रु०-738.48 लाख (रूपया सात करोड अइतीस लाख अइतालिस हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-28/2016/2822/पांच-6-16-127(नि०)/12, दिनांक 27.01.2016 व शासनादेश संख्या-2731/पांच-6-16-46(नि०)/16, दिनांक 23.11.2016 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम०ओ०यू० निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम०ओ०यू० निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (4) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- (7) निर्माण अर्द्धि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।
- (8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त सी०एच०सी० सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये उक्त सी०एच०सी० तथा टी०एन०पी० अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

- (9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- (10) प्रस्तावित कार्यों का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।
- (11) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।
- (12) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (15) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामु0स्वा0केन्द्र-05 नये सामु0स्वा0केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

संख्या- 356 /2016/ 3003 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव, हरदोई व प्रतापगढ़ ।
- (4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (6) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
- (7) मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव, हरदोई व प्रतापगढ़ ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), लखनऊ ।
- (9) संबंधित परियोजना/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), उन्नाव, हरदोई व प्रतापगढ़ ।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (11) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
- (12) गार्ड फाइल।
- (13) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)